

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 276]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 11 जून 2020 — ज्येष्ठ 21, शक 1942

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 27 मई 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-5/2019/17-दो.— औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 1-5/2019/17-दो, दिनांक 11 जून, 2019 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कार्यरत श्री धनीराम पटेल, औषधि निरीक्षक को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची-सी एवं सी (1) में विनिर्दिष्ट औषधियों सहित छत्तीसगढ़ राज्य में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री के प्रयोजन के लिए शासकीय विश्लेषक के रूप में नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निहारिका बारिक सिंह, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 27 मई 2020

क्रमांक एफ 1-5/2019/17-दो.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27-05-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निहारिका बारिक सिंह, सचिव.

Atal Nagar, the 27th May 2020

NOTIFICATION

No. F 1-5/2019/17-Two. — In exercise of the powers conferred by sub section (I) of Section 20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (No. 23 of 1940) and in pursuance of Department Notification No. F 1-9/2019/17-Two, dated 11th June, 2019, the State Government, hereby, appoints Shri Dhani Ram Patel, Drug Inspector working under Food and Drugs Administration, Chhattisgarh, as Government Analyst for the purposes of Drugs and Cosmetics in the State of Chhattisgarh including drugs specified in Schedule C and C (1) of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NIHARIKA BARIK SINGH, Secretary.